



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062021-228012
CG-DL-E-30062021-228012

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2446]
No. 2446]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 30, 2021/आषाढ़ 9, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 30, 2021/ASHADHA 9, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2021

का.आ. 2637(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार जिले में NH752G के कि.मी. 50.2 से कि.मी.98.84 (जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरबार) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "०२ डिसेंबर, २०२०" को "दै. नंददर्शन (इंग्रजी व मराठी)" और "०३ डिसेंबर, २०२०" को दै. आपला महाराष्ट्र (इंग्रजी व मराठी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार जिले में NH752G के कि.मी. 50.2 से कि.मी.98.84 (जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरबार) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: नंदुरबार			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: नंदुरबार				
	गांव का नाम: कोरीट				
1	192	निजी	शुष्क	0.2861	गोरख सखाराम पाटील, कृष्णदास सखाराम पाटील, मिराबाई सखाराम पाटील, बैंक ऑफ महाराष्ट्र नंदूरबार शाखा (१९२)
2	193	निजी	शुष्क	0.02	पुरुषोत्तम शरदचंद्र वडाळकर, माधुरी पुरुषोत्तम वडाळकर, युनियन बैंक ऑफ इंडिया नंदूरबार शाखा (१९३)
3	194	निजी	शुष्क	0.016698	हर्षल किशोर पाटील, किशोर विठ्ठल पाटील, सहकारी सोसायटी लहान शहादे आदि वि. का. स. सो. लि (१९४)
4	317	निजी	शुष्क	0.47	उषाबाई शिवदास पाटील, देना बैंक शहादा शाखा (३१७/२ पैकी)
5	318	सरकारी	शुष्क	0.27	सरकार ग्रामपंचायत कोरीट (३१८ पैकी)
			कुल	1.062798	

[फा. सं. 12037/99/2017-MAH/3D1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th June, 2021

S.O. 2637(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH752G on the stretch of land from Km 50.2 to Km 98.84 (District Collector Office, Nandurbar) in the district of NANDURBAR in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Nand Darshan (English and Marathi)** on dated **02 December, 2020**” and “**Aapla Maharashtra (Marathi and English)** on dated **03 December, 2020**”; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH752G in the stretch of land from km. 50.2 to km. 98.84 (District Collector Office, Nandurbar) in the district of NANDURBAR in the State of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: NANDURBAR		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Nandurbar				
	Village: Korit				
1	192	Private	Dry	0.2861	Gorakh Sakharam Patil, Krushnadas Sakharam Patil, Mirabai Sakharam Patil, Bank of Maharashtra Nandurbar branch 192
2	193	Private	Dry	0.02	Purshottam Sharadchandra Wadalkar, Madhuri Purushottam Wadalkar, Union Bank of India Nandurbar branch

					193
3	194	Private	Dry	0.016698	Harshal Kishor Patil, Kishor Vitthal Patil, Sahakari Society Lahan Shahade adi. Vi. Ka. Sa. So. Ltd 194
4	317	Private	Dry	0.47	Ushabai Shivdas Patil, Dena Bank Shahada Branch 317/2 Part
5	318	Government	Dry	0.27	Government Grampanchayat Korit 318 Part
			TOTAL	1.062798	

[F. No. 12037/99/2017-MAH/3D1]

RAJESH GUPTA, Director